IJAER/Sep-Oct -2022/Volume-11/Issue-5 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

भारत में लैंगिक असमानता: एक घटनात्मक जांच

Vijay Kant Dubey,
Research Scholar,
Dept. of Sociology, Kalinga University

Dr. Pratima Shukla,
Professor,
Dept. of Sociology, Kalinga University

अमूर्त

प्रस्तुत लघु शोध में भारतीय समाज में लिंग संबंधी असमानता के बारे में अध्ययन किया गया है। वैदिक और बौद्ध काल में महिलाओं का बहुत ही सम्मान किया जाता था जबकि मुस्लिम काल से लेकर अब तक महिलाओं के साथ असमान व्यवहार किया गया है। इसके लिए हमारा पितृसत्तात्मक समाज और उसके द्वारा किया गया समाजीकरण है, जिससे हमारे दृष्टिकोण में पुरुष सर्वोपरि है और महिला उसकी सेवक है। लेकिन अब शिक्षा के विकास के कारण इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा है क्योंकि 2011 में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है, जिससे उनमें जागरुकता आई है। सरकार द्वारा भी महिलाओं के उत्थान के लिए भी अनेक कदम उठाये है उनकों हर क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया है और महिलाओं के लिए अनेक कानून परित किये गये है। फिर भी केवल अब तक 3 प्रतिशत महिलायें ही कार्यशील क्षेत्र में विधिक, प्रबन्धन और वरिष्ठ अधिकरी के रुप में कार्य कर रही है। लैंगिक असमानतायें महिलाओं और लड़कियों के जीवन की दैनिक वास्तविकताओं में परिलक्षित होती है जिनमें शामिल हैं महिलाओं की अनुपातहीन संख्या । भारत में जहाँ प्रत्येक 1000 पुरुष पर 1020 महिलायें है जो थोड़ी बहुत कुछ पूर्व की अपेक्षा सुधरी हुयी प्रतीत होती है। भारत में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन फिर भी वे बुनियादी मानवाधिकारों से दूर हैं | आधी आबादी होने के बावजूद उन्हें हाशिये पर रहने वाला समूह और दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है । संयुक्त राष्ट्र ने भारत को एक मध्यम आय वाले देश के रूप में स्थान दिया है। विश्व आर्थिक मंच का निष्कर्ष दर्शाता है कि लैंगिक असमानता के मामले में भारत दुनिया के सबसे खराब देशों में से एक है जो इस बात से स्पष्ट है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल (Global Gender Gap) में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान 140 वाँ है । उसकी स्थिति को ऊपर उठाने के क्रम में और उसे एक समतावादी माहौल देने के लिये हमें उसे सर्वप्रथम एक इंसान मानना चाहिये और फिर हमें इन्सान को दिये गये सभी मौलिक मानवाधिकार प्रदान करने चाहिये।

मुख्य शब्दः लैंगिक असमानता, आर्थिक, मौलिक, मानवाधिकार, आबादी

प्रस्तावना

भारत विकासशील देश होने के साथ–साथ एक कृषि प्रधान देश भी है। यहाँ की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। भारत विश्व गुरू भी रह चुका है। भारत में वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। सारे कार्यों में महिलाओं की भागीदारी होती थी, परंतु समय बीतने के साथ–साथ महिलाओं की स्थितियों में बदलाव आया। भारत में महिलाओं की मुस्लिम

शासनकाल में सबसे अधिक स्थिति खराब हुई। फलस्वरूप महिलाओं की समाजिक कार्यों व अन्य आर्थिक व गैर आर्थिक गतिविधियाँ समाप्त होती गई। महिलाओं के परदा प्रथा व बुर्का का प्रचलन बढ़ने लगा। अब महिलाएँ घर के कामों तक ही सीमित हो गयी। यों कहें तो महिलाएँ घर की शोभा मात्र बनकर रह गयी। महिलाओं को उपभोग की वस्तुएँ समझी जाने लगी। महिलाएँ अब नीतिगत कार्यों में भाग नहीं ले सकती थी। सती प्रथा का भी प्रचलन बढ़ा, बाल–विवाह का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ा। बाद में भारत अंग्रेजों के अधीन हुआ भारत का संपर्क पश्चिमी देशों से हुआ। पश्चिमी सभ्यता भी भारत में पनपने लगी। अंग्रेजों के शासन के समय ही सती प्रथा प्रतिबंधित घोषित हुआ। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि महापुरूषों ने विधवा विवाह स्त्री शिक्षा व सती प्रथा का विरोध किया। समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की नींव पड़ी। कस्तूरबा गांधी, बेगम हजरत महल आदि महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में सफलतापूर्वक सहयोग की। महात्मा गांधी के आंदोलनों में भी महिलाएँ भाग लेती रही परंतु आजादी के 73 सालों के बाद भी आज भारतीय समाज में स्त्री व पुरूषों के बीच काफी असमानता है। शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, महिलाओं ने दिखा दिया कि अगर उन्हें अवसर मिले तो वह प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर कर सकती है। भारत में आज के 21वीं सदी में भी आज भी पुत्र के जन्म पर धुमधाम से अनेक प्रकार के उत्सव मनाये जाते हैं वहीं लड़कियों के जन्म पर घर में उदासी का या मातम का महौल छा जाता है। पुत्र चाह में उनके माता–पिता द्वारा पुत्री को जन्म से पहले ही उसे गर्भ में ही मरवा दिया जाता है। इस कार्य ने सारी मानवता को शर्मसार कर दिया है। धर्मशास्त्रों में स्त्री को देवी जननी माना फिर भी उसे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जीवन के हर कदम पर भीषण संघर्ष करना पड़ता है। जो महिलाएँ अपने पति, बच्चे, भाई के लम्बी उम्र के लिए, सुखी रहने के लिए अनेक प्रकार के व्रतों को करती है। घर को संतान रूपी फूल से घर–परिवार को सुखी बनाती है, उसी देवी को लड़की जन्म होने पर कई यातनाएँ उसके परिवार वालों द्वारा दी जाती हैं। इस सब कारणों से लैंगिक असमानता बढ़ी है। आजादी के 73 सालों के बाद भी आज हम कहाँ खड़े हैं, यह सोचने का विषय हैं। आज भी यह सत्य है कि ऐसी परंपराओं, संरचनाओं व प्रणालियों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं जो स्त्री विरोधी हैं।

लैंगिक अंतर के निर्धारकों को समझने, नीतियों का मूल्यांकन करने और देशों की प्रगति की निगरानी करने के लिए लैंगिक असमानता और महिला सशक्तिकरण को मापना आवश्यक है। इस उद्देश्य से, पिछले दो दशकों में, अनुसंधान को मुख्य रूप से समग्र सूचकांकों के विकास की ओर निर्देशित किया गया है। इस पेपर का उद्देश्य मानव विकास में लैंगिक असमानता को मापने पर वर्तमान बहस में एक नया और अंत:विषय परिप्रेक्ष्य पेश करना है। शुरुआती बिंदु के रूप में, हम मानव विकास और लैंगिक असमानता के बीच परस्पर निर्भरता का एक सरल व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित करते हैं। फिर हम देश स्तर पर महिला सशक्तिकरण को मापने के लिए महिला और पुरुष बॉडी मास इंडेक्स के अनुपात के आधार पर एक बायोमेट्रिक संकेतक पेश करते हैं। अंत में, नवीनतम उपलब्ध डेटा का उपयोग करके, हम लैंगिक समानता हासिल करने में देशों के प्रदर्शन को पकड़ने के लिए इस बायोमेट्रिक संकेतक की क्षमता की जांच करते हैं। हमें पाँच मुख्य परिणाम प्राप्त होते हैं: 1) हम मानव विकास और लैंगिक असमानता के संयुक्त निर्धारण को समझाने के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करते हैं; 2) हम दिखाते हैं कि बाहरी झटकों या नीतिगत परिवर्तनों के प्रभाव का अनुकरण करने के लिए इस ढांचे का उपयोग कैसे किया जाए; 3) हम प्रदर्शित करते

हैं कि बहिर्जात परिवर्तनों का मानव विकास और लैंगिक असमानता पर सीधा और कई गुना प्रभाव पड़ता है; 4) हमने पाया कि महिला और पुरुष आबादी के बीच मोटापे का वितरण देश स्तर पर लैंगिक समानता को मापने के लिए एक उपयोगी प्रॉक्सी चर का प्रतिनिधित्व करता है; 5) अंत में, हम इन परिणामों का उपयोग अधिक वजन और मोटापे की महामारी के लिए 'पारिस्थितिक' दृष्टिकोण पर मौजूदा ज्ञान को एकीकृत और विकसित करने के लिए करते हैं। 1) हम मानव विकास और लैंगिक असमानता के संयुक्त निर्धारण को समझाने के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करते हैं; 2) हम दिखाते हैं कि बाहरी झटकों या नीतिगत परिवर्तनों के प्रभाव का अनुकरण करने के लिए इस ढांचे का उपयोग कैसे किया जाए; 3) हम प्रदर्शित करते हैं कि बहिर्जात परिवर्तनों का मानव विकास और लैंगिक असमानता पर सीधा और कई गुना प्रभाव पड़ता है; 4) हमने पाया कि महिला और पुरुष आबादी के बीच मोटापे का वितरण देश स्तर पर लैंगिक समानता को मापने के लिए एक उपयोगी प्रॉक्सी चर का प्रतिनिधित्व करता है; 5) अंत में, हम इन परिणामों का उपयोग अधिक वजन और मोटापे की महामारी के लिए 'पारिस्थितिक' दृष्टिकोण पर मौजूदा ज्ञान को एकीकृत और विकसित करने के लिए करते हैं। 1) हम मानव विकास और लैंगिक असमानता के संयुक्त निर्धारण को समझाने के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करते हैं; 2) हम दिखाते हैं कि बाहरी झटकों या नीतिगत परिवर्तनों के प्रभाव का अनुकरण करने के लिए इस ढांचे का उपयोग कैसे किया जाए; 3) हम प्रदर्शित करते हैं कि बहिर्जात परिवर्तनों का मानव विकास और लैंगिक असमानता पर सीधा और कई गुना प्रभाव पड़ता है; 4) हमने पाया कि महिला और पुरुष आबादी के बीच मोटापे का वितरण देश स्तर पर लैंगिक समानता को मापने के लिए एक उपयोगी प्रॉक्सी चर का प्रतिनिधित्व करता है; 5) अंत में, हम इन परिणामों का उपयोग अधिक वजन और मोटापे की महामारी के लिए 'पारिस्थितिक' दृष्टिकोण पर मौजूदा ज्ञान को एकीकृत और विकसित करने के लिए करते हैं।

उद्देश्य –

1. लैंगिक असमानता का विश्लेषण करना।

2. अर्थिक विकास और समानता के बीच संबंध का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि –

यह शोध पत्र अध्ययन द्वितीयक समंक पर आधारित है जिसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र लेख विभिन्नि समाचार पत्रों पुस्तकों सरकारी रिपोर्ट सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है इस विधि में विश्लेषण हेतु पद की प्रणाली का प्रयोग किया

परिणाम

भारत की समस्या

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का 189 देशों में 131 वाँ स्थान है।

लैंगिक असमानता के अवधारणात्मक विश्लेषण के पश्चात् अब यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि भारत में लैंगिक असमानता की स्थिति काफी दुखद है। यहाँ न केवल महिलाओं को बुनियादी सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक व आर्थिक अवसर से बाहर रखी जाती रही है, बल्कि ऐसा करके यह आने वाली पीढ़ियों के जीवन की सम्भावनाओं को गम्भीर रूप से खतरे में डालता जा रहा है। यहाँ उल्लेखनीय है कि एक रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसर में भी गिरावट दर्ज की गयी है। इस क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव का अनुपात 3% से बढ़कर 32.6% पहुँच गया है। जहाँ महिला मत्रियों की संख्या वर्ष 2019 में 23.1% थी, वहीं 2021 में घटकर 9.1% रह गयी है। महिला श्रम बल भागीदारी दर 24.8% से गिरकर 22.3% और इसके साथ ही पेशेवर और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका 29.2% हो गयी है। वरिष्ठ और प्रबन्धक पदों पर महिलाओं की भागीदारी भी कम ही रही है। इन पदों पर केवल 14.6% महिलायें कार्यरत हैं। केवल 8.9% कम्पनियाँ हैं जहाँ शीर्ष प्रबंधक पदों पर महिलाये है भारतीय परिवार अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों को पसंद करते हैं और कन्या भ्रूण हत्या दुखद रूप से आम है प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों है तो इस क्रम में यही कहा जा सकता है कि इसके कई कारण है जिसकी विवेचन की कोशिश आगे की जा रही है।

भारत में लैंगिक भिन्नता के कारण

पितृसत्तात्मक समाज

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्वी के अनुसार, पितृसत्ता सामाजिक संरचना और प्रथाओं की एक प्रणाली है जिसमें पुरुष महिलाओं पर हावी होते हैं उनका उत्पीडन करते है और उनका शोषण करते हैं। वास्तव में, महिलाओं का शोषण सदियों पुरानी संस्कृति है, भारतीय समाज कीद्य पितृसत्ता की प्रणाली को इसकी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों या मान्यताओं से मिलती है चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम या कोई अन्य धर्म हो । उदाहरण के लिये, मनु के अनुसार, महिलाओं को अपने पिता के कस्टडी (बनेजवकल) में माना जाता था जब वे बच्चे होते थे. उसके बाद विवाहित होने पर पति के और वृद्धावस्था या विधवाओं के रूप में अपने पुत्र की अभिरक्षा में किसी भी परिस्थिति में उसे स्वतंत्र रूप से स्वयं को मुखर करने की अनुमति नहीं थी।

बेटे को तरजीह

लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख कारक बेटों की प्राथमिकता है क्योंकि उन्हें लड़कियों की तुलना में अधिक उपयोगी समझा जाता है ५ लड़कों के परिवार के नाम और सम्पत्ति के वारिस का विशेष अधिकार दिया जाता है और वे उनके

परिवार के लिये अतिरिक्त स्थिति के रूप में देखा जाता है, एक अध्ययन में विद्वानों द्वारा पाया गया कि पुत्र की उच्च आर्थिक उपयोगिता मानी जाती है।

एक अन्य कारक धार्मिक प्रधाओं का है, जो केवल पुरुषों को अधिक वांछनीय बनाते हैं। पुरुष से ही वंश वृद्धि है। पुरुष सन्तान ही वंश वृद्धि करते हैं और माता–पिता के मृत्यु के पश्चात् अन्तिम संस्कार और मोक्ष प्राप्ति हेतु श्राद्ध कर्म करते हैं। हालाँकि एक–दो अलग दृष्टान्त देखने को मिलते हैं. पर अभी भी यही धार्मिक–सांस्कृतिक मान्यताएँ प्रचलित हैं।

ज्ञात हो कि उपरोक्त कारणों से जो लैंगिक भिन्नता आयी है उसके चलते महिलाओं को कम से कम एक बेटा होने के लिये मजबूर किया जाता है और पुत्र की प्राप्ति नहीं होने पर प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर जो लड़कियाँ पैदा होती हैं उसके साथ भेद–भाव किया जाता है ५ एक अध्ययन के मुताबिक बेटियों को बीमारियों के इलाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और ये प्रथायें लड़कियों के स्वास्थ्य और उत्तरजीविता को प्रभावित करती है। गरीबी और शिक्षा की कमी अनगिनत महिलाओं को कम वेतन वाली घरेलू सेवा, संगठित वेश्यावृत्ति या प्रवासी मजदूरों के रूप में काम या अधिक काम के लिये असमान वेतन मिलता है बल्कि उन्हें केवल कम कौशल वाली नौकरियां जिनके लिये कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है, ऑफर किया जाता है। यह लिंग के आधार पर असमानता का प्रमुख रूप बन गया है। बालिकाओं को शिक्षित करना अभी भी एक बुरे निवेश के रूप में देखा जाता है क्योंकि वह शादी करने और एक दिन अपने पैतृक घर छोड़ने के लिये बाध्य है द्य इस प्रकार अच्छी शिक्षा के बिना महिलाओं में वर्तमान समय में कार्य –कौशल की कमी पायी जाती है; यह दर्शाता है कि अभिभावक 10 + 2 मानक बाद बालिकाओं पर अधिक खर्च नहीं कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 36% लड़कियाँ प्राथमिक शिक्षा का चक्र पूरा करने से पहले स्कूल से बाहर निकल जाते है।

दहेज

भारत में दहेज नकद में भुगतान या दूल्हे के परिवार को किसी प्रकार के उपहार के साथ दिया जाता है यह प्रथा भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग और धर्मों में व्यापक है। भारत में दहेज प्रथा लैंगिक भिन्नता' में योगदान करती हैं इस धारणा के साथ कि लड़कियाँ परिवार पर बोझ होती है। इसके चलते भ्रूण हत्यायें होती हैं और साथ– ही शादी के बाद दहेज के लिये लड़कियाँ की हत्या कर दी जाती हैं।

लैंगिक भिन्नता के विरुद्ध कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा

उपरोक्त लैंगिक भिन्नता के कारणों से स्पष्ट है कि यह किस प्रकार से एक महत्त्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण मुद्दा बना हुआ है । अतः इस लैंगिक भिन्नता को समाप्त या कम करने हेतु कुछ कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गयी है जो इस प्रकार हैं –

भारतीय संविधान का अनु 15 धर्म, जाति या जन्म स्थान जैसे आधारों के अलावा यौन संबंधों के आधार पर भेदभाव को रोकता है अनु. 15 (3) महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष प्रावधान करने के लिये राज्य को अधिकृत करता है। इसके अलावा राज्य

के नीति–निर्देशक तत्व भी विभिन्न प्रावधान करते हैं जो महिलाओं के लाभ के लिये हैं और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है । महिलाओं के शोषण को समाप्त करने और उन्हें समाज में समान स्थिति देने के लिये विभिन्न सुरक्षात्मक विधान है और संसद द्वारा भी पारित किया गया है। उदाहरण है के लिये, सती (रोकथाम) अधिनियम, 1987, सती प्रथा को समाप्त करने और इसे अमानवीय प्रथा को दण्डनीय बनाने के लिये अधिनियमित किया गया था। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिये दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (5) प्रसव पूर्व निदान तकनीक दुरुपयोग का (विनियमन और रोकथाम) 1991 में पेश किया गया, 1994 में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिये पारित किया गया। फिर, बाल–विवाह जैसी प्रथा के रोकथाम हेतु बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 के स्थान पर है बाल –विवाह निषेध अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया ऐसे और भी कई अधिनियम पारित किये गये इसके अतिरिक्त संसद्ध समय– समय पर बदलती जरूरतों के अनुसार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिये मौजूदा कानून में संशोधन करती है जैसे – Indian Panel Code, 1860 में 304–B जोड़ा गया जो दहेज के कारण मृत्यु और दुल्हन को जलाने जैसे विशेष अपराध अधिकतम दण्ड आजीवन कारावास समुदाय के साथ दण्डनीय है हालांकि सरकार किसी भी समुदाय व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने के बारे में कुछ आरक्षण बनाये रखती है बिना समुदाय के पहल और सहमति के।

विशिष्ट सुधारों की सूची नीचे प्रस्तुत की गयी है–

1. महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेशन (CEDAW)
2. प्रसव पूर्व निदान परीक्षण प्रतिबंध
3. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
4. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (2005 में संशोधितः बेटियां और बेटे को समान उत्तराधिकार का अधिकार देता है हिन्दुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों पर लागू होते हैं)
5. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 (विरासत का अधिकार शरिया द्वारा शासित और महिलाओं की हिस्सेदारी कुरान द्वारा अनिवार्य पुरुषों की तुलना में हुआ है
6. मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित हुआ जिसने भारत में ट्रिपल तलाक को अवैध बना दिया

समाज की मानसिकता में धीरे–धीरे परिवर्तन आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गम्भीरता से विमर्श किया जा रहा है। इस क्रम में भारत एवं विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा लैंगिक भिन्नता को कम करने में मदद करने के लिये महिलाओं पर लक्षित कई क्षेत्र– विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किये गये है ।

जहाँ तक भारत द्वारा इस क्रम में चलाये गये कार्यक्रम की बात है तो वह इस प्रकार है – मैक्सिको कार्ययोजना (1978), नैरोबी अग्रदर्शी रणनीतियाँ (1985) लैंगिक समानता तथा विकास एवं शान्ति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र द्वारा 21वीं सदी के लिये अंगीकृत "बीजिंग डिक्लरेशन एण्ड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन" को कार्यान्वित करने के लिये और कार्रवाइयाँ एवं पहले, "जैसी लैंगिक समानता की वैश्विक पहलों भी है

फिर 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' 'वन स्टॉप सेन्टर योजना (One stop center Plan), महिला हेल्पलाइन योजना' और 'महिला शक्ति केन्द्र जैसी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केन्द्रित योजनायें चलायी जा रही है

इसी प्रकार महिलाओं पर लक्षित विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किये गये। इनमें से कुछ कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, महिलाओं को रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु "कौशल्या योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, फिर उत्तर प्रदेश में महिला सामर्थ्य योजना', 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना इत्यादि। इसी प्रकार बिहार में महिलाओं के रोजगार, गरीबी उन्मूलन एवं उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिये कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जैसे कौशल विकास, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, जीविका, पंचायत नगर निकायों में 50% आरक्षण इत्यादि जैसी व्यवस्थायें की गयी हैं

निदान के उपाय

1. महिला सशक्तीकरण के लिये आंदोलन जहाँ महिलायें को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्म निर्भर बनने की जरूरत है जहाँ वे अपने डर से लड़ सके और दुनिया में कहीं भी बाहर निडर होकर जा सके।

2. महिलाओं की उन्नति के लिये रणनीतियाँ होनी चाहिये – उच्च साक्षरता अधिक औपचारिक शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर, शिक्षा में जरूरत है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की वृत्ति को कम करना

3. नौकरी के अवसरों में आरक्षण या विशेष प्रावधान होना चाहिये।

4. महिला और पुरुष दोनों के प्रयासों से लिंग असमानता की समस्या का समाधान निकल सकेगा और भारत में हम सभी को दोनों सोच और कार्य में सही मायने में आधुनिक समाज के हमारे सपने की ओर ले जायेगा और पुरुषों और महिलाओं के बीच राजनीतिक असमानता विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक असमानता सूचकांक इन कारकों में से प्रत्येक पर भारत को अलग–अलग रैंक देते हैं। भारत को लिंग असमानता को निष्क्रिय करने की जरूरत है आज के समय में ऐसे चलन की जरूरत है जहाँ लड़कियाँ न केवल रोजगार के सांस्कृतिक पैटर्न से बाहर निकलने के योग्य हैं, बल्कि कैरियर की सम्भावनाओं के बारे में सलाह देने की भी जो नौकरियों की पारम्परिक सूची से बाहर दिखती हैं।

विश्लेषण

यदि हम लिखे और पढ़े जाने वाले प्राचीन इतिहास के वैदिक, उत्तर वैदिक काल की बात करे तो महिलाओं की स्थिति सर्वोच्च दिखायी देती है वेदो तथा उपनिषदो में उसे माता तथा देवी शब्दो से संबोधित किया गया। महिला अपने परिवार की मुखिया के रूप में स्थापित थी, यह प्रारम्भिक वैदिक काल मातृसत्तात्मक युग के रूप में एक सुखद अनुभव देता है।

लेकिन सल्तनत काल ओर मध्यकाल में आरम्भ हुई बहु–विवाह प्रथा ने औरतों की स्थिति बिगाड़ दी साथ–साथ पर्दा–प्रथा, दहेज प्रथा, दास प्रथा ने तो उनका सर्वोच्च सामाजिक स्थान न केवल छिना उन्हें तिरस्कृत एवं उपभोग की वस्तु बना दिया। विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास ने भी लिंग परिक्षण माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम दिया जाने लगा परिणामस्वरूप जनगणना 2011 के दौर में वैश्विकरण ने अधिकांश परिवारों को काम की तलाश में शहरो की और मोड़ा उसी के साथ शिक्षित ओर धनवान परिवारों में यौन चयन की संभावना अधिक बढने लगी। हमेशा से लैगिक असमानता का मुख्य कारण पुत्र वारिस की प्राप्ति रहा जबकि महिला पुरूषों के समान ही समाज के लिए आर्थिक, वित्तिय और पारिवारिक जिम्मेदारीयों की बखुबी निभाती रही है लेकिन पुरूष प्रधान समाज उसका जन्म केवल परिवार व बच्चों को संभालने तक की मानसिकता युक्त होने से उसके खिलाफ, घरेलु हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न कार्य स्थल उत्पीड़न, छेड़छाड़, जबरन गर्भ निषेध, मानसिक प्रताड़ना आम बात हो गयी है यह एक खतरनाक और ज्वलन्त मुद्दा है। जिसका देश की प्रगति में निराकरण निःतान्त आवश्यक है। पिछले कुछ दशकों से अनेक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एन.जी.ओ. (स्वयं सहायता समूह), पूर्ण विकासात्मक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहे है। महिलाओं के खिलाफ असमानता के सभी रूपों को कम करनेके लिए नारीवाद का महत्त्वलगातार बढ़ रहा है। प्रत्येक समस्या का समाधान संभव है यदि देश, समाज व पुरूष अपनी मानसिक पंगुता से बाहर निकल सकें। हमें आवश्यकता है शिक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त करने की आवश्यकता है महिलाओं के सशक्तिकरण की, हमें उन्हें मौका देना होगा बेझीझक सामाजिक गतिविधियों और सक्रिय राजनीति में भाग लेने का, रणनीति बनानी होगी लिंग चयन, गर्भपात, बलात्कार, घरेलु हिंसा को समाप्त करने की, तैयार करना होगा, ऐसा सकारात्मक माहौल जिसमें बेटी फल–फूल सकें। कारात्मक प्रतिबद्धता से महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाया जा सकता है यही बौद्धिक औचित्यपूर्णता भी होगी। भारत में लिंग असामनता को निष्क्रिय करने की आवश्यकता है क्योंकि लैगिंक असमानता के सभी कारक कष्टप्रद है। यह आर्श्च का विषय है इतने सारे कानून होने के बावजूद महिलाएं तनाव व दबाव में रहती है। स्त्रियों पुरूषों के मध्य समता स्थापित करने हेतु अभी मीलो चलना बाकी है। जबकि एक के बिना दूसरे का जीवन अधूरा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- स्त्री मुक्ति का सपना – प्रो. कमला प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद पृ.सं. – 446
- भारत में स्त्री असमानता : एक विमर्श – डॉ. गोपा जोशी, पृ.सं. – 263
- स्त्रियों की पराधीनता – जे. एस. मिल, पृ.सं. – 10
- कबीर, एन (1999) – नारीवादी दृष्टिकोण से विश्लेषणात्मक रूपरेखा तकः लैगिंक असमानता के मामले

- संतोष, रंगनाथ एण्ड कामा, राजू, टी. (2009) –भारत में लैंगिक विकासः आयाम एवं कार्ययोजना, वॉल्यूम 6, आई. मनेजमेंट ट्रेडस
- शर्मा जी.एल. – सामाजिक मुद्दे, पृ.सं. 421
- ब्रिटा इस्टेव, वॉलास्ट (2007) – लिंग भेदभाव और विकास : भारत के सिद्धांत और साक्ष्य, लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स एण्ड पॉलिटिक्ल साइंस
- वेकॉफ, विक्टोरियो. ए. (1998) भारत में महिलाओं की शिक्षा वाणिज्य विभाग अमेरिका वाशिंगठन रिपोर्ट : जी.पी.ओ. 9801
- विल्सन, डी. (2003) मानव अधिकार : शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना 2003/04
- स्त्रियाँ : मंगलेश डबराल – पृ. सं. 18